



2026:AHC-LKO:22449

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक विविध अग्रिम

ज़मानत आवेदन - संख्या 564/2026

विष्णु सिंह

.....आवेदनकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव गृह विभाग, लखनऊ के माध्यम से और अन्य

.....विरोधी पक्ष (गण)

आवेदनकर्ता (गण) के अधिवक्ता	:	अरुण सिंह सोमवंशी
विरोधी पक्ष (गण) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं. - 14

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. आवेदनकर्ता की ओर से उपस्थित हुए विद्वान अधिवक्ता श्री अरुण सिंह सोमवंशी, और राज्य की ओर से उपस्थित हुई विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्रीमती आरती गुप्ता सिंह की दलीलें सुनी गईं।

2. यह आवेदन आवेदनकर्ता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट/वाद अपराध संख्या 207/2025 में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दाखिल किया गया है। यह वाद भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 124(1), 351(3) और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत दिनांक 29.05.2025 को पुलिस स्टेशन- पिहानी, ज़िला- हरदोई में दर्ज किया गया था।

3. उपरोक्त वाद दिनांक 29.05.2025 को आवेदनकर्ता सहित छह व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई एक प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर पंजीकृत किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहा गया है कि दिनांक 20.05.2025 को रात लगभग 10:00 बजे, शिकायतकर्ता ने अपनी पुत्री अंजू सिंह के इलाज के संबंध में आवेदनकर्ता को फोन किया था, जिस पर आवेदनकर्ता ने शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए दहेज को लेकर असंतोष व्यक्त किया और उससे अपनी बेटी को वापस ले जाने के लिए कहा। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जब यह टेलीफोन पर बातचीत चल रही थी, तभी सह-अभियुक्त विनीत सिंह (आवेदनकर्ता का पुत्र) और मंजू सिंह (आवेदनकर्ता की पत्नी) ने ज़बरदस्ती अंजू सिंह को तेज़ाब पिला दिया। शिकायतकर्ता अगले दिन अपनी पुत्री के ससुराल गया और पाया कि उसके होंठ जले हुए थे और वह बहुत ज़्यादा दर्द में थी। शिकायतकर्ता उसे पिहानी के एक अस्पताल ले गया, जहाँ से उसे ज़िला अस्पताल, हरदोई भेज दिया गया, और वहाँ से उसे आगे लखनऊ भेज दिया गया।



4. अग्रिम ज़मानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथपत्र में यह कहा गया है कि आवेदनकर्ता निर्दोष है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, और उसे वर्तमान वाद में झूठा फंसाया गया है।

5. पीड़िता अंजू सिंह के बयान में, उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट में कही गई बातों को ही दोहराया और कहा कि जब आवेदनकर्ता उसके पिता (शिकायतकर्ता) से फोन पर बात कर रहा था, तब उसके पति और सास ने उसे ज़बरदस्ती तेज़ाब पिला दिया। अपने अतिरिक्त बयान में भी पीड़िता ने अपने पहले के बयान को ही दोहराया।

6. चिकित्सीय साक्ष्य इस आरोप की पुष्टि करते हैं कि पीड़िता ने तेज़ाब का सेवन किया था।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि आवेदनकर्ता के विरुद्ध एकमात्र आरोप यह है कि उसने शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए दहेज को लेकर असंतोष व्यक्त किया था। जांच पूरी हो चुकी है। सभी कथित अपराधों के लिए सात वर्ष से ज़्यादा का दण्ड नहीं हो सकता। और इसलिए, जांच के दौरान आवेदनकर्ता को गिरफ्तार नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता को भारतीय न्याय संहिता की धारा 35(3) के अंतर्गत एक नोटिस जारी किया गया था। दिनांक 29.08.2025 को, जांच अधिकारी ने सह-अभियुक्त विनीत सिंह के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 118(1), 351(3) और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत अपराधों के लिए आरोप पत्र दाखिल किया है।

8. आवेदनकर्ता और अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध जांच अभी भी जारी है।

9. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम ज़मानत के आवेदन का विरोध किया है, और उन्होंने यह दलील दी है कि अभियुक्तों ने ज़बरदस्ती तेज़ाब पिलाकर शिकायतकर्ता की पुत्री को घायल कर दिया है। ये अपराध बहुत ही गंभीर प्रकृति के हैं, और इसलिए, आवेदनकर्ता को अग्रिम ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए।

10. वाद के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में, न ही पीड़िता के बयान में, और न ही उसके अतिरिक्त बयान में, आवेदनकर्ता पर तेज़ाब पिलाने का कोई आरोप लगाया गया है और आवेदनकर्ता तथा शिकायतकर्ता के मध्य फोन पर हुई बातचीत के दौरान दहेज को लेकर असंतोष व्यक्त करने के अलावा आवेदनकर्ता पर कोई अन्य आरोप नहीं लगाया गया है, मेरी राय में, उपरोक्त तथ्य आवेदनकर्ता को अग्रिम ज़मानत देने के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करते हैं।

11. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, आवेदनकर्ता की अग्रिम ज़मानत याचिका स्वीकार की जाती है। यदि आवेदनकर्ता को उपरोक्त मामले में गिरफ्तार किया जाता है, या वह संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है, तो उसे एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा कर दिया



जाएगा; यह रिहाई संबंधित एस.एच.ओ./न्यायालय की संतुष्टि के अधीन होगी और निम्नलिखित शर्तों तथा विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित की जा सकने वाली किसी भी अन्य शर्त के अधीन होगी:

- (i) आवेदनकर्ता पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए, जब भी आवश्यकता हो, स्वयं को उपलब्ध कराएगा;
- (ii) आवेदनकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोका जा सके, अथवा वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- (iii) आवेदनकर्ता न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत छोड़कर बाहर नहीं जाएगा;
- (iv) आवेदनकर्ता विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो; और
- (v) आवेदनकर्ता अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा और न ही उन्हें डराएगा-धमकाएगा।

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



31 मार्च 2026

दर्पण शर्मा/-

Translated Version. Not for Legal Use.